आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.-21 of 2018

Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Ajay Kumar Mandal - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :
For the OP :

O R D E R

17.12.2018 प्रस्तुत सेवा अपील सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–आ0सं0–16/आ0–01–05/2017 सा0प्र0–9931 दिनांक– 26.07.2018 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक–846 दिनांक–18.05.2017 द्वारा श्री अजय कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा के विरुद्ध न्यायालीय वादों से संबंधित प्रतिवेदन ससमय उपस्थापित नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य अभिलेख विभागीय ज्ञापन सं0– 7454 दिनांक– 16.06.2017 द्वारा आरोपी श्री मंडल को उपलब्ध कराया गया एवं उनसे इस संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई। उक्त अनुरोध के

17/12

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

आलोक में श्री मंडल द्वारा दिनांक– 31.07.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री मंडल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनके बचाव अभिकथन पर सम्यक रुप से विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0– 11103 दिनांक– 30.08.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक–51/ (गो0को0) दिनांक– 19.03.2018 द्वारा श्री मंडल के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें इनके विरुद्ध आरोप सं0– 01 का अंतिम खण्ड अप्रमाणित एवं शेष अंश प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी सहमत होते हुए नियम 18 (3) के तहत जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्री मंडल को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक– 5309 दिनांक 19.04.2018 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

श्री अजय कुमार मंडल, निलंबित सहायक द्वारा दिनांक– 15.05.2018 को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अपने विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों से इन्कार किया गया है तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाए गए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अजय कुमार मंडल, तत्कालील सहायक, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोप के संदर्भ में उनके बचाव का लिखित

17/11/18

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अभिकथन, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर आरोपी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अजय कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा को निलंबन मुक्त करते हुए (1) चेतावनी एवं (2) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री मंडल को निलंबन मुक्त करते हुए चेतावनी एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(v) के तहत संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी को दिया गया दंड आनुपातिक है एवं अपील खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि "जिस पत्र से संबंधित आरोप में उन्हें दंडित किया गया है वो पत्र कार्यालय में दिनांक–15.02.2017 को प्राप्त हुआ और दिनांक– 15.03.2017 तक डायरी शाखा के कर्मी के पास पड़ा रहा।

जब इस पत्र को खोज की गई तब दिनांक– 16.03.2017 को डायरिस्ट द्वारा उनके लॉग बुक में पृष्ठ सं0– 03 में संधारित किया गया।

इस प्रकार यह पत्र उन्हें दिनांक– 16.03.2017 को प्राप्त हुआ।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

यह पत्र आयुक्त कार्यालय में दिनांक– 14.03.2017 को प्राप्त हुआ और तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष दिनांक– 15.03.2017 को प्रस्तुत हुआ। डाक स्टेज में ही तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा उन्हें पत्र हाथों–हाथ दिया गया। पत्र के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इसमें विहित प्रपत्र संलग्न नहीं है। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्रों की खोज करने पर डायरिस्ट द्वारा दिनांक– 16.03.2018 को उनके लॉग बुक में अंकित किया गया।

अतः यह आरोप पूर्ण रुप से आधारहीन है। सर्वप्रथम दिनांक– 15.03.2017 को उन्हें संबंधित पत्र प्राप्त हुआ और विहित प्रपत्र वाला प्रासंगिक पत्रांक– 378 (अनु0) दिनांक– 08.02.2017 उन्हें दिनांक– 16.03.2017 को प्राप्त हुआ और दिनांक– 16.03.2017 को ही संचिका सं0– 01–102/2013 (विधि) में संधारित करते हुए लंबित भूमि संबंधी वादों के प्रकार सहित विहित प्रपत्र में विषयवार, शीर्षवार, वर्षवार एवं माहवार सूची तैयार कर टंकित/स्वच्छ प्रति के साथ वांछित सूचना अंकित कर पत्र–प्रारुप सहित प्रशाखा पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित कर दिया।

इस प्रकार पत्र उपस्थापन और सूची तैयार करने में एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया गया है।

सूची तैयार कर दिनांक–16.03.2017 को उनके द्वारा उपस्थापित कर दिया गया था और अति महत्वपूर्ण का पताका लगा दिया गया था, प्रशाखा पदाधिकारी से शीघ्र निष्पादन का अनुरोध करने के बाद भी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 21.03.2017 को आयुक्त के सचिव के पास उपस्थापित किया गया और सचिव द्वारा उसी दिन आयुक्त को संचिका पृष्ठांकित कर दी गयी।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दिनांक– 29.03.2017 को प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संचिका नीचे लौटने के बाद प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा उन्हें दिनांक– 13.04.2017 को संचिका दी गई।

इस प्रकार संचिका लौटने के क्रम में दिनांक– 31.03.2017 से 12.04.2017 तक प्रशाखा पदाधिकारी के पास लंबित रहा।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त महोदय के समक्ष उनके द्वारा उपस्थापित की गई संचिका पत्र प्रारुप एवं विहित प्रपत्र पर उनके लघु हस्ताक्षर की तिथि दिनांक– 16.03.2017 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उनके स्तर से संचिका उपस्थापन में विलम्ब नहीं हुआ है।''

अतः अपीलार्थी द्वारा आरोप मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अपीलार्थी को दिया गया दण्ड आनुपातिक नहीं है।

अतः इस वाद को अनुशासनिक प्राधिकार को Remand किया जाता है कि वो इस मामले में Fresh Order पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।